श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् यह प्रश्न इसी सत्र में आया था और उस समय यही जवाब आया था ।

श्री सभापति: वह बात आ गई है....(व्यवधान)...

उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, यह जो मामला है, यह गंभीर है और खास करके यह जो जजमेंट हैं, जिस जजमेंट के बारे में सवाल पूछा गया ।...(व्यवधान)

SHRIB. P. SINGHAL: Sir, we are not able to ask Questions ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना चेहरा आकर्षित बना लीजिए, सब देखते हैं ।...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, जहां इस प्रकार की शिकायतें आती है, जिनका ज़िक्र किया गया है और जिनका उल्लेख तथा जिनकी आलोचना कोर्ट ने भी की है, वहां यह बात भी सही है कि स्त्रियों के साथ भी अत्याचार होते है, उनके साथ भी ज्यादती होती है और जहां तक कि इस जजमेंट की भी आलोचना विमेन कमीशन ने की है । विमेन कमीशन ने यह कहा है कि इस जजमेंट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं ये सही नहीं हैं और सरकार को इस मामले में अगर कोई कानून बनाना है तो स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है और खास करके अब जब लॉ कमीशन का रेकमेंडेशन आया , मालीमथ कमेटी का भी एक रेकमेंडेशन आया, तो उचित लगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़े, जिस पर एक आम सहमति है । अन्यथा आपने जो बात कही है, उस दृष्टिकोण में भी वजन है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना पड़ता है ।

कपड़ा उत्पाद इकाइयों के विकास व विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समितियां

*231 **श्री लाजपत राय**: ††
श्री राजीव रंजन सिंह"ललन":

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कपड़ा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयों के विकास व विस्तार के लिए सुझाव पाने हेतु गत तीन वर्षो के दौरान किन्हीं राष्ट्रीय स्तर की समितियों का गठन किया है:,

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों का (मिल, पावरलूम तथा हथकरघा) क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक समिति का गठन कब किया गया था:, और

(ग) इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोटो का ब्यौरा क्या हैं ?

†† सभा में यह प्रश्न श्री लाजपत राय द्वारा पूछा गया ।

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए गठित कुछ महत्वपूर्ण समितियों के ब्यौरे नीचे दिये गये है:-

(1) श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में वस्त्र उद्योग में निवेश और विकास संबंधी संचालन समूह का गठन 9.11.2001 को किया गया था ।

(2) तकनीकी वस्त्र की वृद्वि और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन 4.7.2002 को किया गया था ।

(ग) वस्त उद्योग में निवेश और विकास संबंधी संचालन समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। महत्वपूर्ण सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है:-

(3) वस्त्र उद्योग में निवेश और विकास संबंधी संचालन समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । महत्वपूर्ण सिफमारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अटूट केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर(सेनवेट) श्रृखंला को संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र तक बढ़ाना और मान्य आधार पर सेनवेट ऋण को समाप्त करना ।

(2) यार्न चरण से शुरू 3 वर्षो की अवधि के लिए संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र के लिए 8 प्रतिशत सेनवेट लागू करना ताकि क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा सके ।

(3) सिंथेटिक फिलामेंट यार्न-पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (पी एफ वाई), आंशिक रूप से आरियेन्टेड यार्न (पी ओ वाई) और पालिएस्टर टैक्सराइज्ड यार्न (पी टी वाई) पर प्रथम वर्ष में उत्पाद कर दो 32 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत और दूसरे वर्ष में 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत करना । पोलिएस्टर कपास और विस्कोस कपास ब्लेंडेड यार्न पर सेनवेट को समान स्तर पर लाया जाए ।

(4) वास्तविक रूप से लाभ से वंचित क्षेत्रों को वर्तमान उत्पाद छूट जारी रखना । हथकरघा, खादी, रेशम यार्न, हैंड प्रसंस्करण पर बुने हुए फैब्रिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से बिना किसी विद्युत सहायता के लघु उद्योग (एस एस आई) उत्पाद छूट/ सेनवेट छूट बनाए रखना , जिनके ब्यौरे इस रिपोर्ट में सन्निहित हैं ।

(5) सभी मानव निर्मित/ सिंथेटिक रेशों पर सेनवेट 16 प्रतिशत बनाए रखना ।

(6) मानव-निर्मित/ सिंथेटिक रेश/यार्न उद्योग के पूंजीगत सामान और इसी प्रकार कुछ परिधान क्षेत्र की मशीनरी पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

(7) ऐसी मशीनरी के घेरलु उत्पादन को सेनवेट से छूट दी जाए जिसके आयात को प्रतिकारी शुल्क (सी वी डी) से छूट दी जाती है । बुनाई संबंधी प्रांरभिक और महत्वपूर्ण परिधान मशीनरी को सी वी डी/ सेनवेट से छूट दी जाए।

(8) मध्यवर्ती सिंथेटिक रेशों और धागों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना।

(9) अपैरल श्रेणी के ऊन और फलैक्स रेशे पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

(10) हमारी संतोषप्रद विदेशी मुद्रा-स्थिति के मद्देनजर वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में उपयुक्त संशोधन कर स्वदेशी मशीनरी की खरीद के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने की अनुमति देना।

(11) वस्त्र उद्योग के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 3000करोड़ रूपए के संग्रह से वस्त्र उद्योग पुननिर्माण निधि के गठन की धोषणा करना।

तकनीकी वस्त्र की वृद्वि और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में तकनीकी वस्त्र के संवर्धन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार की हैं। अंतरिम रिपोर्ट में किए गए प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध, रेलवे और अन्य सरकारी परियोजनओं से संबंधित जैव वस्त्रों के उपयोग का संवर्द्वन करना।
2. स्वास्थ्य, रक्षा, जल-संसाधन , भूतल परिवहन आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों का उपयोग बढ़ाना।
3. देश में तकनीकी वस्त्रों के लिए परीक्षण सुविधाओं और मानकों की स्थापना करना।
4. तकनीकी वस्त्रों के विकास को सुगम बनाने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समन्वय समिति गठित करना।

National Level Committees for growth and expansion of Textiles units

† 231.SHRI LAJPAT RAI †:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have constituted any committees at national level during the last three years for seeking suggestions for growth and expansion of units in various sectors of textile production in the country;

(b) if so, the sector-wise (mill, powerloom and handloom) details of such committees and when each of the committees was constituted; and

(c) the details of reports submitted by these committees?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The details of some of the important Committees constituted for all sectors of the textile industry are:

(i) Steering Group on Investment and Growth in Textile Industry under Chairmanship of Shri N.K. Singh was constituted on 9.11.2001.

(ii) Expert Committee for Growth and Development of Technical Textiles—constituted on 4.7.2002.

(c) The Steering Group on Investment and Growth in Textile Industry has submitted its Report to the Government. The important recommendations include:

1. Extend the unbroken Central Value Added Tax (CENVAT) chain to the entire Textile sector and discontinue CENVAT credit on deemed basis.
2. Apply 8% CENVAT for the entire Textile sector starting at the yarn stage for a period of 3 years of enabling modernization of the sector.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

3. On synthetic filament yarns—Polyester Filament Yarn (PFY), Partially Oriented Yarn (POY) and PolyesterTexturisedYarn (PTY)— reduce excise rates from 32% to 24% in first year and 24% to 16% in second year. CENVAT on polyester—cotton and viscose— cotton blended yarn be brought at par.

4. Continue the present excise exemptions to the genuinely disadvantaged sectors. Retain the Small Scale Industry (SSI) Excise Exemption/CENVAT exemption to the sectors like fabrics woven on handlooms, khadi, silk yarn, hand processing totally without the aid of power whose details are contained in the Report.

5. Retain CENVAT at 16% on all man-made/synthetic fibres.

6. Reduce customs duty from 25% to 5% on capital goods of man made/synthetic fibre/yarn industry and similarly on certain garment sector machinery.

7. Domestic production of such machinery be exempted from CENVAT whose import is exempted from Counter Vailing Duty (CVD). Weaving preparatory and critical garment machineries by exempted from CVD/CENVAT.

8. Reduce customs duty on intermediates of synthetic fibres and yarns from 20% to 15%.

9. Reduce customs duty on apparel grade wool and flax fibre from 15% to 5%.

10. In view of our comfortable foreign exchange position, permit the Textile industry to access External Commercial Borrowing for purchase of indigenous machinery by a suitable modification in the Foreign Exchange Management Act (FEMA) for implementation of projects under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS).

11. Announce the constitution of a Textile Industry Reconstruction Fund with a Corpus of Rs. 3000 crores for financial restructuring of the Textile industry.

The Expert Committee for Growth and Development of Technical Textiles has in its Interim Report prepared an action plan for promotion

and commercial exploitation of technical textiles. The main suggestions given in the Interim Report include:

1. Promote the use of geo-textiles on National Highways, dams, railways and other Government projects.
2. Promote use of Technical Textiles in Government programmes implemented by various Ministries like Health, Defence, Water Resources, Surface Transport, etc.
3. Establish testing facilities and standards in the country for Technical Textiles.

"4. Set up an Inter-Ministerial Coordination Committee for facilitating growth of Technical Textiles.

श्री लाजपत राय: चेयरमैन सर, मैंने जवाब पढ़ा है । उसमें टैक्सेशन के बारे में ज़िक्र किया गया है, सिवाय री-कंस्ट्रक्शन फंड के । मैं यह जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के तीन हिस्से हैं – पॉवरलूम, हैंडलूम और निटिंग इंडस्ट्री, तीनों में से दो अन-ऑर्गेनाइज्ड है, जो इनको आर्गेनाइज्ड करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, इन्होंने कमेटीज़ के बारे में पूछा था, सरकार ने ऐसी दो कमेटीज़ बनाई है । उन की रिपोर्ट आ गयी है और हमने कदम उठा लिया है ।

श्री सभापति: श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल ।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सर, पिछले प्रश्न में सम्लीमेंटरी पूछना था, लेकिन उस समय आप ने नाम नहीं पुकारा ।

श्री सभापति: मैं क्या करूं घड़ी साथ नहीं दे रही ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Army colleges and institutions in the country

*225. SHRI BACHANI LEKHRAJ: Will the Minister of DEFENCE be pleased to *t* tate:

(a) the number of army colleges and institutions in the country;

(b) the places where they are located;